

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- तरवांमारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.09.2023 को वादी मुकदमा रामजन्म यादव पुत्र चन्नर यादव ग्राम कम्हरिया कुरथिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने शिकायत किया कि मेरी भूमि पर अभियुक्त 1. रणधीर यादव 2. अशोक यादव पुत्रगण स्व0 परमा यादव 3. विवेक यादव पुत्र अशोक यादव निवासीगण कम्हरिया कुरथिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ जबरदस्ती कब्जा करके धान बो रहे हैं जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 249/23 धारा 323, 327, 506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 12.09.2023 को उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक यादव पुत्र स्व0 परमा यादव निवासी कम्हरिया कुर्थीया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को कम्हरिया कुर्थीया मोड से समय करीब 7.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

अपराधिक इतिहास- अशोक यादव पुत्र स्व0 परमा यादव

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	244/2011	147, 148, 149, 323, 395, 395, 397, 397, 452, 504, 506 भादवि व 3(1)(x), 3(1)(xii)एसी/एसटी0 एक्ट	तरवां	आजमगढ़
2	6162/2014	147, 148, 149, 307, 323, 504, 54 भादवि	तरवां	आजमगढ़
3	79/2023	323, 504, 506 भादवि	तरवां	आजमगढ़
4	249/2023	323, 327, 506, भादवि	तरवां	आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 249/23 धारा 323, 327, 506, भादवि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी, का0 प्रमोद कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांवअवैध तमंचा व कारतूस के साथ शांति अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 12.09.23 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभियुक्त शिवा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान सा0 परसौरा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को बछौली तिराहे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ समय करीब 14:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 416/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास- शिवा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान सा0 परसौरा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 416/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाव जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 130/23 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना तरवा जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शिवा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द चौहान सा0 परसौरा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मुरारी मिश्र, का0 शैलेन्द्र, का0 शिवम राय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

थाना महाराजगंज

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

दिनांक 11.09.23 को उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभियुक्त दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह साकिन दशराजपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष को 01 अवैध देशी तमन्चा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ ग्राम दशराजपट्टी मोड़र से समय 20.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 286/23 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-

दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह साकिन दशराजपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।(HS No.- 103A)

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	282/09	394 IPC	महाराजगंज
2.	134/13	307,323,504,506 भादवि	महाराजगंज
3.	140/18	147,149,323,504,506 भादवि	महाराजगंज
4.	38/21	386,506 भादवि	महाराजगंज
5	165/21	272,273,भादवि 060 EX एक्ट	महाराजगंज
6	14/22	323,504,506,452 भादवि	महाराजगंज
7	263/22	3/25 आर्म्स एक्ट	महाराजगंज
8	286/23	3/25 आर्म्स एक्ट	महाराजगंज

गिरफ्तार अभियुक्त- दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह साकिन दशराजपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।
बरामदगी- 01 तमन्चा.12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे, हे0का0 भीम प्रसाद, का0 संगम कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ।

थाना- बरदह

चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 11-09-2023 को वादी मुकदमा अब्बास पुत्र सत्तर ग्राम बेलहथी थाना बरदह द्वारा शिकायत किया गया था कि दिनांक 05-08-2023 को मेरे ही गांव के 1.इरसाद पुत्र भोलु 2. सेराज पुत्र कतवारु 3. जावेद पुत्र इदरीस ने मिलकर मेरी 03 बकरी चुरा लिये है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 372/23 धारा 379 भादवि0 पर्जीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तार का विवरण- आज दिनांक 12.09.2023 उ0नि0 महेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.इरसाद पुत्र भोलु 2. सेराज पुत्र कतवारु 3. जावेद पुत्र इदरीस समस्त निवासी ग्राम बेलहरी हसनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को बर्रा तिराहा से समय करीब 08.00 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1.इरसाद पुत्र भोलु 2. सेराज पुत्र कतवारु 3. जावेद पुत्र इदरीस समस्त निवासी ग्राम बेलहरी हसनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ।

बरामदगी का विवरण:- 03 बकरी

आपराधिक इतिहास-

1.इरसाद पुत्र भोलु नि0 बेलहरी हसनपुर थाना बरदह

1.मु0अ0सं0 330/23 धारा 323/504/506/304 भादवि

2.मु0अ0सं0.494/2022 धारा 379/407/411/34 भादिव थाना रामगढ ताल जनपद गोरखपुर

सेराज पुत्र कतवारु नि0 बेलहरी हसनपुर थाना बरदह

1.मु0अ0सं0 330/23 धारा 323/504/506/304 भादवि थाना बरदह आजमगढ

जावेद पुत्र इदरीस नि0 बेलहरी हसनपुर थाना बरदह आजमगढ

1.मु0अ0सं0 330/23 धारा 323/504/506/304 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ।

थाना-मेंहनाजपुर
अवैध तमन्चा व कारतूस के अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.09.2023 उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों के दौरान अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ सागा सिंह पुत्र रविन्द्रनाथ सिंह ग्राम सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को मानिकपुर मोड़ से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1.मु.अ.सं. 193/2023 धारा 3/25 A Act थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 61/21 धारा 392/411/34 IPC थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 137/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बृजेश सिंह उर्फ सागा सिंह पुत्र रविन्द्रनाथ सिंह ग्राम सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार

2.का0 विकास पाण्डेय

3.का0 अशफाक अहमद थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर के कारावास की सजा व जुर्माना

➡दिनांक- 11.10.2018 को वादी मुकदमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय शिकायत किया था कि विपक्षी शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के दुष्कर्म किया गया।

➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 329/2018 धारा 363,366,376,506 भादवि व 17/18 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡दिनांक- 12.09.2023 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

हत्या के आरोपी 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

➡दिनांक- 21.05.2021 को वादी मुकदमा शाहुल पुत्र रामहरख निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ ने थाना स्थानीय शिकायत किया था कि विपक्षी 1. जगदीश निषाद पुत्र गोमती निषाद, 2. शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, 3. वीरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, 4. किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ द्वारा वादी के छोटे भाई भीम को कमरे में बन्द करके लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी।

➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 67/21 धारा 302/148/149/120बी/342 भादवि व 3(2)5 Sc/St एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡दिनांक- 12.09.2023 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. जगदीश निषाद पुत्र गोमती निषाद, 2.शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, 3.वीरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, 4. किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।